XIV-Form No. 563.

22

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
राजस्व अपील वाद संख्या–131/2005
धारा–48 (F) बी0टी0 एक्ट अन्तर्गत

देवनारायण मेहता, पिता–स्व0 बदर मेहता, साकिन–जयमंगला, थाना–के0 नगर, जिला–पूर्णियाँ .....
आवेदक

बनाम

1. आला बक्स
2. खोदा बक्स
3. करीम बक्स

तीनों के पिता–स्व0 हाजी मकसूद

साकिन–रामपुर, थाना– के0 नगर, जिला–पूर्णियाँ ..... विपक्षी

आ दे श

आवेदक भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर द्वारा बटाईदारी वाद संख्या–32/2003–04 में पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद को खारिज कर दिया गया। निम्न न्यायालय में आवेदक द्वारा प्रस्तुत कागजातों का अध्ययन नहीं किया गया। समझौता बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन को भी नजर अन्दाज किया गया। साथ ही दोनों पक्षों के बीच भी कभी समझौता कराने का प्रयास नहीं किया गया। पुनः निम्न न्यायालय ने प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, के0 नगर द्वारा विवादित जमीन पर दखल के संबंध में जाँच करने हेतु आदेश दिया। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पता चलता है कि प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन एक माह के अन्दर नहीं दिया गया था बल्कि काफी लम्बे अन्तराल के बाद प्रतिवेदन दिया गया था और निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 10.09.2005 को वाद खारिज कर दिया गया। जबकि आवेदक 12 वर्षो से अधिक समय से प्रश्नगत जमीन पर खेती करते आ रहा है। इस प्रकार निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश नियम के विरूद्ध हैं अतः आवेदक इस न्यायालय से निवेदन करता है कि निम्न न्यायालय का अभिलेख मंगवाकर अपने स्तर से वाद की सुनवाई कर न्याय करने की कृपा करें।

विपक्षीगण का कथन है कि यह अपील मौजा–पोठिया, थाना नं0–9, सिकमी खाता संख्या–101, कायमी खाता संख्या–228, खेसरा संख्या–1333, रकवा–1.11 एकड़ एवं खेसरा संख्या–1334, रकवा–1.27 एकड़, कुल रकवा–2.38 एकड़ जमीन पर बटाई हक के लिये प्रारम्भ किया गया है। निम्न न्यायालय में समझौता बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन बिना स्थल जाँच के प्रस्तुत किया गया था। फलस्वरूप भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी से स्थल जाँच करवाया गया कि प्रश्नगत जमीन पर दखल किस पक्ष का है ? प्रखण्ड विकास पदाधिकारी स्थल जाँच कर एवं अन्य ग्रामीणों से जानकारी लेकर अपना प्रतिवेदन निम्न न्यायालय में समर्पित यि और इसी प्रतिवेदन के आधार पर उपरोक्त वाद को

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

खारिज किया गया। प्रश्नगत जमीन पर खेती विपक्षी ही करते आ रहे है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के अनुकूल है। अतः विपक्षीगण इस न्यायालय से निवेदन करता हैकि आवेदक द्वारा प्रारमभ किये गये इस वाद को खारिज करने की कृपा की जाय।

सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 18.05.2012 को उभय पक्ष उपस्थित होकर समझौता आवेदन समर्पित किये। उभय पक्ष को सुना गया।

उभय पक्ष के द्वारा समर्पित समझौता आवेदन का अवलोकन किया गया। इसमें विपक्षी (भूधारी) के द्वारा आवेदक के मांग के अनुसार बटाईदारी हेतु सहमत हुए है। इस परिप्रेक्ष्य में तदनुसार आवेदक के द्वारा समर्पित आवेदन को स्वीकार किया जाता है। तदनुसार अंचलाधिकारी, के0 नगर एवं भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, सदर आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस निर्णय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

30/5/12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

30/5/12

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ